

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक-25.02.2019.


संख्या-12/प0 (का0दंडा0)-1701/19 सा0प्र0.....2607/श्री प्रमोद कुमार बैठा (RDD/001462),
(गृह जिला-सिवान, पैतृक विभाग-ग्रामीण विकास विभाग), कार्यपालक दंडाधिकारी, पकड़ीदयाल,
पूर्वी चंपारण को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दंडाधिकारी, मुंगेर सदर के
पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बैठा को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत
मुंगेर सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही
उन्हें मुंगेर जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु
भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

3. स्थानान्तरित पदाधिकारी बिना पारगमन काल का उपभोग किये अपने पदस्थापित स्थान पर
तुरत योगदान करेंगे।


4. नियंत्री पदाधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना ही स्थानान्तरित पदाधिकारी को
योगदान करने हेतु विरमित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-12/प0 (का0 दंडा0)-1701/19 सा0प्र0.....2607/पटना-15, दिनांक-25.02.2019.

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0टी0,
प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार (ले0 एव ह0) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)
विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान
आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार,
पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित
जिला पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेषित।


सरकार के अपर सचिव।